भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1334
उत्तर देने की तारीख : 11.02.2025

दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता

1334. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को बसों, रेलगाड़ियों और मेट्रो स्टेशनों जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में दिव्यांगों के लिए सुगम्यता उपायों के कार्यान्वयन में भारी खामियों के बारे में जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि सरकारी भवनों और निजी विकास सहित सभी नई अवसंरचना परियोजनाओं में दिव्यांगों के लिए सुगम्यता सुविधाओं को शामिल किया जाए और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने दिव्यांगों के दैनिक जीवन पर अपर्याप्त अवसंरचना के प्रभाव के संबंध में अनुसंधान या आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो पहचान की गई कमियों को दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ख): भारत सरकार ने विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता को बढ़ावा देने के के लिए कई उपाय किए हैं। अब तक, सभी 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 55 घरेलू हवाई अड्डों को सुगम्यता सुविधाएं (रैम्प, शौचालय, लिफ्ट) प्रदान की गई हैं। 709 ए1, ए और बी श्रेणी के सभी रेलवे स्टेशनों पर सात अल्पावधिक उपयोग की जाने वाली सुविधाएं (रैम्प, शौचालय, लिफ्ट, हेल्पडेस्क, पार्किंग, फिसलन रहित रास्ते, पेयजल सुविधाएं) प्रदान कराई गई हैं। लगभग 42,000 और अधिक बसों को आंशिक रूप से सुगम्य बनाया गया है और 8695 बसें पूरी तरह से सुगम्य हैं। देशभर में 3533 बस स्टेशनों में से 3120 को सुगम्य बना दिया गया है।

सुगम्य भारत अभियान के तहत, केंद्र सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक भवनों की सुगम्यता लेखा परीक्षा की और 1314 भवनों को सुगम्य बनाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग(सीपीडब्ल्यूडी) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के स्वामित्व वाले 211 भवनों और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अनुरक्षित अन्य विभागों/मंत्रालयों के 889 भवनों को भी पुनः सज्जित (रेट्रोफिट) किया है।

सुगम्यता सुविधाओं का समावेश सुनिश्चित करने के लिए कई मंत्रालयों/विभागों ने कई उपाय किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने जीएसआर 287(ई), जीएसआर 367(ई), जीएसआर 959 (ई) आदि के माध्यम से, सुलभ बस बॉडी डिज़ाइन के लिए एआईएस-052-कोड अधिसूचित किया है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं, जैसे दिव्यांगजनों के लिए प्राथमिकता वाली सीटें, उपयुक्त चिह्नों के साथ दिव्यांगजनों के लिए निर्दिष्ट सीटें, सुविधा के लिए बैसाखी, छड़ी, वॉकर आदि सुरक्षित करने के लिए उचित सुविधा के साथ प्राथमिकता वाली सीटें एवं दिव्यांगजनों के लिए रेलिंग और/या स्टैंचियन के प्रावधान के साथ सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने का प्रावधान है। जीएसआर 959 (ई) फिटनेस प्रमाणन के समय सुगम्य सुविधाओं के संबंध में सत्यापन प्रावधानों को अनिवार्य करता है। जीएसआर 240 (ई) ने अनुकूलित वाहन में रूपांतरण के लिए मोटर वाहन में बदलाव के लिए आवश्यक प्रावधान को अधिसूचित किया।

भारतीय रेलवे ने "दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे स्टेशनों की सुगम्यता और स्टेशनों पर सुविधाओं पर दिशा-निर्देश" भी अधिसूचित किए हैं, जिसमें दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए प्रवेश रैंप, सुगम्य पार्किंग, कम ऊंचाई के टिकट काउंटर / सहायता बूथ, शौचालय, पीने के पानी के बूथ, रैंप / लिफ्ट के साथ सब-वे / फुट ओवर ब्रिज, ब्रेल साइनेज सहित मानक साइनेज और दृष्टिबाधितों के लिए स्पर्शनीय मार्ग आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मेट्रो/आरआरटीएस परियोजनाओं में उपयोगकर्ता के अनुकूल जन परिवहन प्रणाली डिजाइन की है जो दिव्यांगजनों के साथ-साथ अस्थायी गतिशीलता समस्याओं वाले लोगों और बुजुर्गों के लिए सुगम्यता सुनिश्चित कर सकती है । मेट्रो/आरआरटीएस के लिए डिज़ाइन मानक संबंधित सुविधाओं और सेवाओं, सूचनाओं आदि सहित सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे तक सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले लोगों को लाभ होता है।
पीएम-ईबस सेवा निविदा में एआईएस 052 और एआईएस 153 के अनुसार सुगम्यता की सुविधाओं और उपकरणों को निर्दिष्ट किया गया है, ताकि व्हीलचेयर सुगम्यता सहित सुगम्यता की सुविधाओं के साथ 12 मीटर और 9 मीटर बसों को 100% तैनात किया जा सके।

(ग) और (घ): जी, हाँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च और डेवलेपमेंट ने तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के रूप में सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन की समीक्षा की। इस मूल्यांकन के कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार थे:

- इस अध्ययन के दौरान, यह देखा गया कि 80.51% भवनों को रेट्रोफिटिंग के लिए वित्त पोषित किया गया था।
- इस अभियान ने देश भर में प्रमुख सरकारी भवनों को कवर किया है।
- इस अभियान के कारण सरकारी अधिकारियों और आम जनता के बीच, सार्वजनिक स्थानों तक सुरक्षित और आसान पहुंच हेतु दिव्यांगजनों के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक में बदलाव देखा गया था।

****